U.T ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
O/o THE ZONAL AGRICULTURE OFFICER
DAMAN & DIU
DAMAN

No. ZAO/DMN/ FTC /2012-13/ 148 Dated: 18 / 07 / 2012

LIMITED TENDER N O T I C E

Sealed tenders are hereby invited on behalf of the Department of Agriculture, Daman & Diu, U. T. Administration of Daman & Diu from the individual/ firms/ organization providing catering services to the Department of Agriculture as detailed below:

| Sr. No. | Description of Item | Qnty. |
|---|---|---|
| 1. | Providing catering service during farmers' training programmes:<br><br><u>Tea</u> : Twice a day<br>(Milk/ water ratio= 50:50)<br><br><u>Breakfast</u> (Vegetarian): Including items-<br>Poha/ khaman/ shira/ upma : Any one<br>Banana/ Papaya/ Orange/ Guava: Any one<br>Tea (Milk/ water ratio= 50:50)<br><br><u>Lunch</u> (Vegetarian): Including items-<br>Wheat Roti<br>Steamed Rice<br>Dal/ Dal Fry<br>Vegetable: 01 green and 01 pulses<br>Green Salad<br>Butter Milk<br><br><u>Dinner</u> (Vegetarian): Including items-<br>Wheat Roti<br>Steamed Rice<br>Dal/ Dal Fry<br>Vegetable: 01 green and 01 pulses<br>Green Salad | 25 persons per day |

Terms & Conditions:

1. The interested parties should quote their offer/ rates per person on their letter head or plain paper with their signature & seal.
2. The rates should be inclusive all taxes & valid up to 31st March, 2013.
3. The interested parties should be able to provide the catering services at Farmers Training Centre, Government Agriculture Farm, Kachigam, as & when demanded by the Department, with prior notice of a week. The services could be demanded on single or multiple occasions during the period ending on 31st March, 2013.
4. The caterer may either cook & serve the food at Training Centre or supply & serve otherwise, as deemed fit to him. However, the caterer has to provide fresh, healthy and hygienic food. Quantum of basic food items per person shall be unlimited.
5. The number of person shall subject to change without prior notice.
6. The payment will be made only after receiving services to the satisfaction of the concerned authority, after each occasion.
7. The tenders should reach this office up to 12.00 A.M. on 31 / 07 /2012 in the sealed envelope super scribed as "Tender for Providing catering service during farmers' training programmes" and it will be opened on the same day at 04:00 P.M. in presence of the Tenderers or their authorized representatives, if any, if possible.
8. The terms and conditions of this notice and, also further prescribed by this office shall be acceptable to the interested parties. No separate agreement will be executed for the purpose.
9. Right to reject or accept any or all tender is reserved with the undersigned.
10. All the disputes arising out of this business are subject to the jurisdiction of the appropriate Court/ Authority in the Union Territory of Daman & Diu.

Zonal Agriculture Officer,
Daman & Diu,
Daman

To,

Copy to:

1. The P.A. to the Secretary (Agriculture), DD & DNH, Daman...for favour of information.
2. All Head of Offices stationed in Daman...with request for wide publicity
3. The District Informatics Officer, NIC, Secretariat, Daman with a request to place this notice on the official website.
4. Notice Board.
5. Concerned/ Guard file.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
कृषि विभाग
आंचलिक कृषि कार्यालय
दमण एवं दीव
दमण

सं.आंच.कृषि.कार्या./दमण /कृ.प्र.कें/2012-13/ 148 दिनांक : 18/07/2012

**सीमित निविदा सूचना**

कृषि विभाग, दमण एवं दीव, संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन की ओर से खान-पान सेवा कृषि विभाग को निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए व्यक्तियों / फार्मों / संगठनों से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :

| क्रम सं. | मद का विवरण | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराना :<br>**चाय:** दिन में दो बार (दुध / पानी का अनुपात=50:50 )<br>**नास्ता (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल - पौवा / खमण / सिरा / उपमा: कोई एक<br>**केला/पपीता / संतरा / अमरूद** : कोई एक<br>**चाय** (दुध / पानी का अनुपात=50:50 )<br>**दोपहर का भोजन (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल -<br>गेहूँ की. रोटी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद, बटर दुध.<br>**रात्रि भोजन (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी,पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद | 25 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन |

निबंधन एवं शर्तें :

1. रूचि रखनेवाले पक्षों को अपना प्रस्ताव / अपनी दर अपने पत्रशीर्ष या सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना चाहिए ।
2. दरों के अंतर्गत सभी कर शामिल होने चाहिए तथा ये 31 मार्च, 2013 तक वैध होना चाहिए ।
3. रूचि रखनेवाले पक्ष कृषि विभाग द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी मांगे जाने पर, सरकारी कृषि फार्म, कचीगाम में खान-पान सेवा मुहैया कराने समर्थन होना चाहिए । उक्त मद 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के दौरान एक या कई अवसरों पर मांगे जा सकते हैं ।
4. खान-पान आपूर्तिकर्ता कृषक प्रशिक्षण केंद्र में खाना पकाकर या अन्य प्रकार से आपूर्ति कर परोस सकते हैं, जैसा उन्हें उपयुक्त लगे । परंतु खान-पान आपूर्तिकर्ता को ताजा, स्वास्थ्य कर एवं स्वच्छ भोजन देना होगा । प्रति व्यक्ति दिये जानेवाले बुनियादि खाद्य मदों की मात्रा असीमित होगी ।
5. आपूर्ति किये जानेवाले मदों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।
6. मदों को प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
7. उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक 31/07/2012 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए और इन पर बड़े अक्षरों में "कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा " लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याहन बाद 04.00 बजे खोला जायेगा ।
8. इस नोटिस की निबंधन एवं शर्तें तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्तें भी रूचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजन के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।
9. किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
10. इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालय / प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

आंचलिक कृषि अधिकारी,
दमण एवं दीव,
दमण

सेवा में,

प्रतिलिपि :

1. सचिव (कृषि) की निजी सचिव,दमण एवं दीव तथा दा.न.ह.,दमण को सूचनार्थ
2. सभी कार्यालयध्यक्ष,दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय,दमण को इस नोटिस को कार्यालयीन वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
4. नोटिस बोर्ड ।